FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0030 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/02/2024 19:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 14/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 14/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:20 बजे **Time To (समय तक):** 15:54 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/02/2024 **Time (समय):** 17:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/02/2024 19:49:27 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 1 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** sainik kalyan road, ajmer

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** narendra kumar verma

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** late sohan lal morya

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	khiriya, sarwad, kekri, केकड़ी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	khiriya, sarwad, kekri, केकड़ी, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9929357674

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	sunil kumar jain		पिता:tara chand jain	1. 05-105,housing board,panchseel nagar,ajmer,AJMER,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल मौर्य जाति रेगर उम्र 43 साल निवासी गावं खीरियां तहसील सरवाड जिला केकडी ने कार्यालय मे उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर श्री अतुल साहू को प्रस्तुत की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् निरीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से उपरोक्तानुसार परिचय करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये। मन् निरीक्षक पुलिस उक्त प्रार्थना पत्र व परिवादी सहित अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया गया तो स्वंय का हस्त लिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो बताया कि " मेरी माताजी वृद्व है तथा हदृय रोग से पीडित है तथा इस मामले मे सारी कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है । मै काफी समय से जीपीएफ कार्यालय आ रहा हूं परन्तु अभी तक हमें भुगतान प्राप्त नही हुआ है तथा बिना रिश्वत दिये आगे की कार्यवाही नही हो रही है। श्री सुनिल जैन पद से लिपिक है किस पद पर है इसकी मुझे जानकारी नही है। पूछने पर परिवादी ने बताया कि मेरी सुनिल जैन से कोई रंजिश नही है व नाही कोई उधार का लेनदेन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे अवगत करवाया जिस पर परिवादी ने बताया कि मै अभी जाकर श्री सुनिल जैन से जीपीएफ कार्यालय जाकर रिश्वत के सम्बन्ध मे बात कर लूंगा। समय 11.55 ए.एम पर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे हुये वायॅस रिकॉर्डर को मंगवाया जाकर उसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर वायॅस रिकॉर्डर को ऑपरेट करना परिवादी को समझाया गया। श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62 को कक्ष मे तलब किया जाकर परिवादी से आपस मे परिचय करवाया तथा परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु जीपीएफ कार्यालय अजमेर जाने की हिदायत दी गई। समय 12.05 पीएम पर श्री कैलाश चारण हैड कानि को वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु रूख्सत किया गया। समय 12.30 पर श्री कैलाश चारण हैड कानि मय परिवादी के उपस्थित आया वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को बन्द अवस्था में पेश किया । वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि आपके कार्यालय से मै और कैलाश जी पैदल पैदल ही जीपीएफ कार्यालय अजमेर के पास पहुंचें मैन सडक पर कैलाश जी ने मुझे वायॅस रिकॉर्डर चालू करके दे दिया। मै इनके पास से रवाना हो गया। रास्ते मे मैने श्री सुनिल जैन से मोबाईल फोन पर बात की तथा मै जीपीएफ कार्यालय के बाहर की तरफ पहुंचा सामने स्थित चाय की थडी पर सुनिल जैन भी आ गया हमारे बीच मे मेरे काम को लेकर बात हुई तथा 7000 रूपये रिश्वत राशि उसे आज ही देनी है। श्री सुनिल जैन से बात कर मै कैलाश जी के पास आ गया इन्होने वायॅस रिकॉर्डर मेरे से प्राप्त कर बन्द कर अपने पास मे रखा तथा वंहा से रवाना होकर हम आपके पास आ गये। श्री कैलाश चारण हैड कानि0 द्वारा परिवादी के बताये तथ्यो की ताईद की गई। प्रस्तुत शुदा वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो रिश्वत राशि सम्बन्धी वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। हालात से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करवाया गया। दिनांक 14.02.2024 समय 01.05 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहो की आवश्यकता होने से वनाधिकारी वन विभाग अजमेर के नाम तहरीर जारी की जाकर श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर गवाह लाने हेतु वन विभाग अजमेर भिजवाया गया। समय 01.30 पीएम पर श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय वन संरक्षक अजमेर से गवाह श्री उमेश कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति रेगर उम्र 31 साल निवासी आई 9 शालीमार कॉलोनी, आदर्श नगर, पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय वन सरंक्षक अजमेर व श्री प्रवीण शर्मा पुत्र श्री सुखदेव शर्मा जाति ब्राहमण 22 साल निवासी लाम्बा जाटान तहसील मेडता सिटी पुलिस थाना गोठन जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय वन सरंक्षक अजमेर को लेकर उपस्थित आये जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय दिया जाकर उपरोक्तानुसार परिचय प्राप्त किया गया। मन् निरीक्षक के पास मौजूद परिवादी का आपस मे गवाहो से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व दिखाया गया। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनो गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो वायॅस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड है को चालू करके गवाहान को सुनाया गया। वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। समय 02.15 पीएम पर परिवादी को आरोपी श्री सुनिल जैन को दी जाने वाली

रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पूछने पर परिवादी ने बताया कि मै थोडी देर मे रिश्वत राशि की व्यवस्था करके आता हूं। जिस पर परिवादी को हिदायत दी जाकर रूख्सत किया गया। समय 02.50 पीएम पर परिवादी कार्यालय मे उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि रिश्वत राशि की व्यवस्था करके आया हूं। समय 03.10 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 14 नोट कुल 7000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री बच्छराज सिंह उप निरीक्षक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर बच्छराज सिंह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडर युक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा सभी का आपस मे परिचय करवाया गया एवं की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 03.35 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कार्ड, परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार, स्वतन्त्र गवाह श्री उमेश कुमार, श्री प्रवीण शर्मा , एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री महेश कुमार हैड कानि नम्बर 10, श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक के मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन, स्टाफ की स्कूटी से ट्रेप कार्यवाही हेतु के लिये रवाना हुये। समय 03.40 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कार्ड, परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार, स्वतन्त्र गवाह श्री उमेश कुमार, श्री प्रवीण शर्मा , एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री महेश कुमार हैड कानि नम्बर 10, श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक के मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन, स्टाफ की स्कूटी से कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण से कुछ पहले पहुंचे। परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द कर जीपीएफ कार्यालय अजमेर के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी के पीछे पीछे हमराहीयान सहित रवाना हुआ। समय 03.50 पीएम पर पर परिवादी एक व्यक्ति के साथ में भूरे रंग की स्कूटी पर बैठकर जाता हुआ नजर आया जिसका पीछा मन निरीक्षक पुलिस मय हमहराहीयान के किया गया तो परिवादी उस स्कूटी से कार्यालय सैनिक कल्याण अजमेर के बाहर की तरफ स्थित दूध डेयरी के बूथ के सामने नजर आया परिवादी स्कूटी से उतरकर स्कूटी सवार व्यक्ति से बात करता हुआ नजर आया। समय करीब 03.54 पीएम पर परिवादी नरेन्द्र कुमार ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अजमेर के बाहर मुख्य सडक पर स्थित सरस डेयरी के समीप से श्री कैलाश चारण हैड कानि0 की तरफ देखकर अपने सिर पर हाथ फैरकर रिश्वत राशि का ईशारा किया जो ईशारा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा भी देखा गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्टॉफ के अन्य सदस्यो को ईशारे से अवगत करवाते हुये मन् निरीक्षक मय गवाहान श्री उमेश कुमार, प्रवीण शर्मा मय हमराहीयान श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री महेश कुमार हैड कानि नम्बर 10, श्रीमती रूचि महिला कानि नम्बर 321, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक सहित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अजमेर के बाहर की तरफ पहुंचा जंहा पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार उपस्थित मिला परिवादी से वायॅस रिकॉर्डर प्राप्त किया जाकर बन्द किया जाकर सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार ने स्कूटी वाहन बरंग ब्राउन नम्बर आरजे 01 एमएस 1488 पर बैठे हुये व्यक्ति जिसने भूरे रंग की स्वेटर व गहरे भूरे रंग की पेन्ट पहनी हुई थी तथा शरीर से हष्ट पुष्ट की तरफ ईशारा कर बताया कि ये सुनिल जैन बाउजी है जिन्होने मेरे से 7000 रूपये रिश्वत लेकर अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे है। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त शख्स को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के प्रयोजन से अवगत करवाते हयु शख्स से उसका पूरा परिचय पूछा तो अपना परिचय श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन जाति जैन उम्र 57 साल निवासी मकान नम्बर 5/105 बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड पंचशील नगर अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सयुंक्त निदेशक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग अजमेर होना बताया। पूछने पर श्री सुनिल कुमार जैन ने बताया कि मैने नरेन्द्र से कोई रिश्वत नही ली है इसने अपनी मर्जी से ही मुझे 7000 रूपये दिये जो मैने लेकर अपनी पेन्ट की जेब मे रख लिये है रूपये अभी मेरी पहनी हुई पेन्ट की जेब मे ही है। परिवादी से किस बाबत 7000 रूपये लिये पूछने पर बताया कि इनके पिताजी जो कि शिक्षा विभाग से सेवानिवृत हुये थे अब उनका देहान्त हो चुका है, जिनकी जीपीएफ का बकाया भुगतान की कार्यवाही हमारे कार्यालय से हो रही है। इसलिये इन्होने अपनी मर्जी से राजी खुशी मुझे 7000 रूपये दिये थे जो मैने रख लिये। आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत प्राप्त किये जाने की पुष्टी होने पर पास ही स्थित दूध डेयरी से पानी की बोतल मंगवाई गई जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री सुनिल कुमार जैन के दाहिने हाथ व बायें हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग मटमेला एवं बांये हाथ के धोवण का मटमैला हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर मटमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर चारो शीशीयों को सुरक्षित रखा गया। आरोपी के निशादेही से उसकी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब की

तलाशी गवाह श्री प्रवीण शर्मा से लिवाई गई तो 500-500 रूपये के कुछ नोट निकाले जिनका मिलान दोनो गवाहान को पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान कर हुबहु होना तथा 500-500 रूपये के 14 नोट कुल 7000 रूपये होना बताया गया।
उक्त नोटो को गवाह श्री प्रवीण शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसी दौरान श्री अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सरकारी वाहन के मौके पर उपस्थित आये। मौके पर काफी भीड होने के कारण आरोपी श्री सुनिल कुमार जैन को हमराह लिया जाकर मय धोवण की शीशीयां, बरामद शुदा रिश्वत राशि मय प्राईवेट एंव सरकारी वाहन सहित, कार्यालय सयुंक्त निदेशक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग अजमेर पहुंचे, आरोपी की स्कूटी को भी हमराह लिया गया। कार्यालय में सयुंक्त निदेशक श्रीमती सुनिता मीणा को अपना परिचय देकर तथ्यो से संक्षेप में अवगत करवाते हुये आगामी कार्यवाही कार्यालय में ही एक कक्ष में करते हुये आरोपी के दाहिने हाथ व बाये हाथ के धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आरएच 1 , आरएच 2, एलएच 1 व एलएच 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। गवाह श्री प्रवीण शर्मा के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि को एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "एन" अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी के पहनने के लिये उसके आवास से एक पेन्ट मंगवाई गई । आरोपी की पहनी हुई ंपेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर आरोपी के घर से आयी दूसरी पेन्ट पहनवाई गई। आरोपी की पहनी हुई पेन्ट बरंग गहरा भूरा की सामने की दाहिनी जेब जंहा से रिश्वत राशि बरामद हुई है, का धोवण लिये जाने हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उसमें इसी कार्यालय परिसर से साफ पानी भरवाकर उक्त गिलास मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी की उक्त पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर डुबाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शिंशिंयो मे आधा-आधा भरकर मार्क पी 1, पी 2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्ड चिट किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की जिंस पेन्ट बरंग गहरा भूरा जिसकी सामने की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है। उक्त पेन्ट की जेब को सुखाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को फोल्डकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्डचिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क पी अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी के पिता श्री सोहन लाल मौर्य के जीपीएफ भुगतान बाबत कागजात के बारे मे पूछने पर श्री सुनिल कुमार जैन द्वारा कार्यालय कक्ष में से ही परिवादी से सम्बन्धित कार्य की दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनका अवलोकन किया गया तो स्व0 श्री सोहन मौर्य के जीपीएफ के अन्तिम भुगतान से सम्बन्धित होकर खाता बन्दी पुस्तिका क्रमांक 612ए वर्ष 2023-24 है। कुल भुगतान राशि 122304 का होना है। कार्यालय टिप्पणी में स्वंय द्वारा संधारित करना अवगत करवाते हुये लिपिक/कनिष्ठ लेखाकार/पर्यवेक्षक/सहायक निदेशक के हस्ताक्षर हो रखे है। श्री सुनिल कुमार जैन द्वारा अवगत करवाया गया कि भुगतान स्वीकृत हो गया है भुगतान हेतु कागजात कोष कार्यालय अजमेर भिजवाये जाने शेष थे । सम्बन्धित कागजात श्रीमती सुनिता मीणा को सुपुर्द किये जाकर प्रमाणित प्रति चाहे जाने पर दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेज 1 से 20 तक प्रस्तुत किए जिसके प्रत्येक पेज पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया।रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो वायॅस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता को रिकॉर्डर चालू करके सुना गया तो आरोपी व परिवादी के मध्य वार्ता होना पाया गया दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मे आरोपी द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी रिश्वत राशि देने का जिक्र किया गया है इस बारे मे पूछने पर आरोपी सुनिल कुमार जैन ने बताया कि इस 7000 रूपये मे से किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कुछ भी नही दिया जाना था मेरे द्वारा परिवादी से ऐसे ही बातो बातो मे कह दिया था कि दूसरो को भी पैसे देने है। आरोपी ने पूछने पर बताया कि "मेरे पास में अभी 29000 रूपये है जो आज मै मेरे घर से लेकर आया था यह राशि मै मेरे बेटा जो कि पूना में बीबीए का कोर्स कर रहा है के बैंक खाते मे फिस हेतु जमा करवाने वाला था" उक्त रूपये आरोपी के पास ही रहने दिये गये। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन जाति जैन उम्र 57 साल निवासी मकान नम्बर 5/105 बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड पंचशील नगर अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सयुंक्त निदेशक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग अजमेर द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार के पिता स्व0 श्री सोहन लाल मौर्य (सेवानिवृत शिक्षक) के जीपीएफ का भुगतान करवाने की एवज में परिवादी से दिनांक 14.02.2024 को 7000 रूपये की मांग करना एंव दिनांक 14.02.2024 को ही अपनी मांग के अनुसरण में परिवादी से 7000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई जो आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद होना पाया गया है। आरोपी के दाहिने व बाये हाथ के धोवण का रंग मटमैला एंव पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब के धोवण का रंग गहरा गुलाबी होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन जाति जैन उम्र 57 साल निवासी मकान नम्बर 5/105 बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड पंचशील नगर अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सयुंक्त निदेशक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा

संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर फर्द बरामदगी रिष्वती राषि एवं हाथ धुलाई एवं जब्ती मुर्तिब की गई समय 07.45 पीएम पर आरोपी श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन जाति जैन उम्र 57 साल निवासी मकान नम्बर 5/105 बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड पंचशील नगर अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सयुंक्त निदेशक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग अजमेर द्वारा जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का अपराध कारित करना पाया जाने पर आरोपी श्री सुनिल कुमार जैन सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उसके संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। समय 08.00 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुनिल कुमार जैन मय हमराहीयान मय जब्त शुदा आर्टिकल,रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर वायॅस रिकॉर्डर आदि के प्राईवेट वाहनो से एसीबी कार्यालय अजमेर के लिये रवाना हुये। समय 08.05 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुनिल कुमार जैन मय हमराहीयान मय जब्त शुदा आर्टिकल,रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर वायॅस रिकॉर्डर आदि के प्राईवेट वाहनो से एसीबी कार्यालय पहुंचा। जब्त शुदा आर्टिकल व वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। परिवादी व गवाहो के रूख्सत कर दिनांक 15.02.2024 को समय 08.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 15.02.2024 समय 08.30 ए.एम. पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार एंव गवाह श्री उमेश कुमार तथा श्री प्रवीण शर्मा कार्यालय उपस्थित आने पर समय 09.00 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार एंव गवाह श्री उमेश कुमार तथा श्री प्रवीण शर्मा के घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन एंव रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रसंक्रिप्ट व डीवीडी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार की गई। समस्त आर्टिकल मालखाना में जमा करने हेतु मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये। गवाहो व परिवादी को रूख्सत किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन जाति जैन उम्र 57 साल निवासी मकान नम्बर 5/105 बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड पंचशील नगर अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सयुंक्त निदेशक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग अजमेर द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार के पिता स्व0 श्री सोहन लाल मौर्य (सेवानिवृत शिक्षक) के जीपीएफ का भुगतान करवाने की एवज में परिवादी से दिनांक 14.02.2024 को 7000 रूपये की मांग करना एंव दिनांक 14.02.2024 को ही अपनी मांग के अनुसरण में परिवादी से 7000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई जो आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद होना पाया गया है। आरोपी के दाहिने व बाये हाथ के धोवण का रंग मटमैला एंव पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब के धोवण का रंग गहरा गुलाबी होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन जाति जैन उम्र 57 साल निवासी मकान नम्बर 5/105 बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड पंचशील नगर अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सयुंक्त निदेशक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।(नरेश चौहान)निरीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर --------कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के द्वारा जरिये ईमेल प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018 में आरोपी श्री सुनील कुमार जैन पुत्र श्री ताराचंद जैन हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अजमेंर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2024 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्रीमती मीरा बेनीवाल़ पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेंर को सुपुर्द कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट संख्या 221 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक . प्रशासऩ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। क्रमांकः 147-150 दिनांकः 15-02-2024 प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अजमेर । 2 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। 3 निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर । एस0डी0 (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक .प्रशासऩ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** meera beniwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/02/2024 19:55:20

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)